जैसलमेर जिले में गलत तरीके से अंत्योदय श्रेणी में पहुंचे 66 परिवार जांच के घेरे में

परिवारों को वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए

- 'वैध दस्तावेज नहीं मिले तो 32 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से होगी वसूली'
- केवल राशनकार्ड धारियों की ही नहीं, बल्कि ई-मित्र संचालकों की भूमिका की भी जांच होगी

जैसलमेर, (निसं)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अत्यंत गरीबों के लिए निर्धारित अन्त्योदय श्रेणी का लाभ गलत तरीके से लेने वाले 66 परिवार जिला रसद विभाग की जांच के घेरे में आ गए है। जांच के दौरान इन परिवारों के राशनकार्ड सामने आए हैं, लेकिन अन्त्योदय श्रेणी में चयन से संबंधित वैध दस्तावेज आवेदन के साथ नहीं मिले। कई कार्ड पहले बीपीएल और एपीएल श्रेणी में थे, जिन्हें बाद में ई-मित्र के माध्यम से अन्त्योदय श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया।

जिला रसद अधिकारी सवाई राम ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने संबंधित राशन कार्डधारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है। परिवारों को वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए गए है। निर्धारित अवधि में दस्तावेज पेश नहीं करने पर उनसे गेहूं की राशि वसूल की जाएगी।

उन्होंने बताया कि सामान्य एनएफएसए और सामान्य परिवारों को अन्त्योदय योजना की तुलना में कम गेहूं मिलता है। सामान्य परिवार को प्रति सदस्य प्रतिमाह 5 किलो गेहूं दिया जाता है, जबकि अन्त्योदय परिवार को प्रति राशनकार्ड 35 किलोग्राम गेहूं प्रतिमाह उपलब्ध करवाया जाता है। ऐसे में गलत तरिके से श्रेणी परिवर्तन कराये जाने से खाद्य सुरक्षा योजना के वास्तवित पात्रों के अधिकार प्रभावित होने की आशंका है।

ई-मित्र संचालक भी जांच के दायरे में :- विभाग ने साफ किया है कि केवल राशनकार्ड धारियों की ही नहीं, बल्कि ई-मित्र संचालकों की भूमिका की भी जांच होगी। ई-मित्र संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि वे किसी भी अन्त्योदय श्रेणी के आवेदन को निर्धारित दस्तावेजों के बिना स्वीकार नहीं करें। यदि जांच में किसी ई-मित्र संचालक की और से नियमों की विपरित श्रेणी परिवर्तन का आवेदन कराया जाना सामने आता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि इन परिवारों को नोटिस जारी कर दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है, अगर वे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाते है तो अब तक उन्होंने जो भी गेहूं लिया है। उसकी 32 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से वसूली की जाएगी।

लोन की रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर की, पूर्व कर्मचारी पर केस दर्ज

- आरोप है कि पूर्व कर्मचारी ने मैनेजर की डिजिटल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर ग्राहकों की पासबुक की डिटेल बदली और लोन की रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी

श्रीगंगानगर, (निसं)। यहां जवाहर नगर थाना क्षेत्र स्थित आरएलबी बैंक में महिलाओं के ग्रुप लोन की रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर 4.72 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा है। ब्रांच मैनेजर रजत कुमार की शिकायत पर पुलिस ने बैंक के पूर्व ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव पर्वत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

आरोप है कि उसने मैनेजर की डिजिटल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर ग्राहकों की पासबुक की डिटेल बदली और लोन की रकम अपनी, परिचितों या तीसरे पक्ष के खातों में ट्रांसफर की। आंतरिक जांच में मामला सामने आने के बाद कंपनी अधिकारियों ने रकम वापस जमा कराने का प्रयास किया, लेकिन शिकायत के अनुसार राशि जमा नहीं कराई गई।

शिकायत के अनुसार पर्वत सिंह 15 सितंबर 2023 से 6 नवंबर 2025 तक बैंक में ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव था। उसका काम ग्राहकों के दस्तावेज वेरीफाई करना, लोन फाइल प्रोसेस करना और किस्त वसूलना था। आरोप है कि उसने कई मामलों में असली पासबुक हटाकर नकली या तीसरे पक्ष की पासबुक सिस्टम में अपलोड की और मैनेजर के पासवर्ड से उसे वेरीफाई किया। कुछ मामलों में अपनी या परिचितों की पासबुक का इस्तेमाल किया। धोखाधड़ी का पता देर से चले, इसके लिए कुछ किस्तें उसने खुद भी जमा कीं।

शिकायत के मुताबिक पूनम को 51 हजार रुपए का लोन स्वीकृत हुआ, लेकिन रकम उसके पीएनबी खाते की बजाय दूसरे खाते में चली गई। मंजु वासन के 51 हजार रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा के अनधिकृत खाते में जमा किए गए। मीरा देवी के 50 हजार रुपए आरएमजी बैंक खाते में डायवर्ट किए गए। इसके अलावा सपना, लीला, राधा देवी और मंजु के 60 से 85 हजार रुपए तक के लोन भी तीसरे पक्ष के खातों में पहुंचाने का आरोप है। कुछ मामलों में पर्वत सिंह के मोबाइल का भी इस्तेमाल किया गया। कंपनी अधिकारी अभिषेक चौधरी ने मामले की आंतरिक जांच की। इसमें कई ग्राहकों ने बताया कि वे पर्वत सिंह के गांव या उसके परिचित हैं। कंपनी ने गबन की रकम वापस जमा कराने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन शिकायत के अनुसार उसने रकम जमा नहीं कराई। पुलिस ने एसपी के आदेश पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चेन लूट के दो आरोपियों को दिल्ली से पकड़ा

जोधपुर, (कासं)। शहर के नागौरी गेट राम मोहल्ला ने एक सितंबर को वृद्धा के गले से चेन लूटकर ले जाने के संबंध में पुलिस ने खुलासा करते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के सिलामपुर निवासी इकबाल उर्फ पसीनी उर्फ गुडा और न्यू सलूंबर उत्तर दिल्ली निवासी वसीम उर्फ इमरान को गिरफ्तार किया है। नागौरी गेट थाना पुलिस ने बताया कि 1 सितंबर को सुधीर टाक पुत्र विजय सिंह की तरफ से मामला दर्ज कराया गया था। उसके अनुसार उसकी माताजी शाम के समय घर के बाहर बैठी थी तब दो बदमाश आए और पता पूछने के बहाने उनके गले से चेन तोड़कर भाग निकले थे।

भीलवाड़ा में फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

- आरोपी 40 साल पहले मृत हो चुके व्यक्ति का फर्जी आधार कार्ड बनाकर करोड़ों की जमीन हड़पने की फिराक में थे

भीलवाड़ा, (निसं)। पुलिस थाना गुलाबपुरा ने जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 40 साल पहले मृत हो चुके व्यक्ति का कूटरचित (फर्जी) आधार कार्ड बनाकर करोड़ों की जमीन हड़पने की फिराक में थे।

जानकारी के अनुसार गुजरात के आणंद निवासी प्रार्थी पटेल चंद्रकांत (71) ने गुलाबपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, रूपाहेली तहसील हुरड़ा स्थित खाता संख्या 388 (पुराना 345) की कुल 3.5370 हेक्टेयर कीमती जमीन उनके दादा स्वर्गीय देसाई भाई के नाम दर्ज थी। देसाई भाई का देहांत 6 दिसंबर 1984 को ही हो चुका था, लेकिन भू-माफिया गिरोह ने उनके दादा को जिंदा दर्शाते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन की किसी अन्य के नाम रजिस्ट्री करवा दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच टीम ने तहसील कार्यालय हुरड़ा से रिकॉर्ड प्राप्त करने के बाद गुजरात पहुंचकर पड़ोसियों, ग्राम पंचायत व पटवारी से अहम साक्ष्य जुटाए। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरोह के दो सदास्य जमनालाल रेगर पिता मगना, निवासी केशवपुरा, मांडल, भीलवाड़ा और पूरण बैरवा पिता मोहन, निवासी देवखेड़ी, सदर, भीलवाड़ा को गिरफ्तार किया है।

पूछताछ में आरोपी पूरण बैरवा ने खुलासा किया कि उसने अपने परिचित नारायण लाल श्रीमाली को फर्जी देसाई भाई बनाया। वहीं आरोपी जमनालाल ने मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर मांगीलाल नामक व्यक्ति की फोटो लगाकर देसाई भाई का फर्जी आधार कार्ड तैयार किया और सीताराम नामक व्यक्ति के नाम धोखे से रजिस्ट्री करवा दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 3 दिन का पुलिस रिमांड हांसिल किया है। गिरोह के अन्य सदस्यों और फर्जीवाड़े से जुड़े अन्य मामलों को लेकर आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है।

भाई के दोस्त पर दुष्कर्म का आरोप, मामला दर्ज

जोधपुर, (कासं)। जिला पश्चिम में एक युवती के साथ उसके भाई के दोस्त ने दुष्कर्म किया।

घटना रविवार दोपहर की है। इसमें पीड़िता की तरफ से अब पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। पीड़िता का मेडिकल करवाए जाने के साथ अब अग्रिम जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि जिला पश्चिम में पीड़िता रविवार की दोपहर में अपने घर पर अकेली थी। तब उसके भाई का दोस्त आया और उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता द्वारा इस बारे में अब थाने में रिपोर्ट दी गई है। पीड़िता की उम्र करीब 18 साल होना बताया गया है। पुलिस ने इस बारे में जांच आरंभ की है।

महिला का मोबाइल लूटने वाले दो बदमाश गिरफ्त में

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर की सूरजपोल थाना पुलिस ने बाइक पर सवार महिला का मोबाइल छीनकर भागने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी का मोबाइल और घटना में उपयोग ली गई बाइक भी जब्त की है।

थानाधिकारी सूर्यभान सिंह ने बताया कि आरोपी मानाराम निवासी गोवर्धन विलास और लिंबाराम निवासी कृष्णपुरी जावरमाइंस को जगदीश चौक एरिया से गिरफ्तार किया था। पुलिस आरोपियों से शहर में पूर्व में हुई वारदातों को लेकर भी पूछताछ कर रही है। हालांकि,बदमाशों पर पूर्व में कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। परेश कुमार राव पिता पूरणमल निवासी भुवाणा ने 5 अगस्त को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि वह और उसकी पत्नी दुर्गा राव बाइक से सेक्टर 14 किसी काम से गए थे। वापस अपने भुवाणा की तरफ लौटते वक्त रात करीब 8.15 बजे पारस चौराहे से गुजर रहे थे। तभी एक स्प्लेंडर बाइक पर दो युवक आए और चलती बाइक से महिला के हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गए। तभी बाइक बेकाबू होने से गिरते-गिरते बचे। शिकायत पर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाल कर आरोपियों की पहचान की और बाइक की लोकेशन का पीछा करते हुए उन्हें जगदीश चौक से डिटेन किया।

गोगाजी मेले के दंगल में 1.31 लाख की कुश्ती बराबरी पर छूटी

- जैलाफ के संजय पहलवान और रोहतक के साहिल नाड़ के बीच हुआ मुकाबला बराबरी पर रहा

मुकाबला बराबरी पर रहने के बाद दंगल समिति की ओर से दोनों पहलवानों को 25-25 हजार की राशि देकर सम्मानित किया।

खेतड़ी, (निसं)। मेहाड़ा स्थित प्रसिद्ध गोगाजी धाम में चल रहे तीन दिवसीय वार्षिक मेले के अंतिम दिन सोमवार को श्रद्धा और रोमांच का अनूठा संगम देखने को मिला। गोगाजी महाराज के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। श्रद्धालुओं ने मंदिर में धोक लगाकर खुशहाली की कामना की और मेले में जमकर खरीदारी की। मेले में उमड़ी भीड़ के बीच आयोजित कुश्ती दंगल आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा।

ग्राम पंचायत मेहाड़ा जाटवास की ओर से आयोजित कुश्ती दंगल में आसपास के क्षेत्रों सहित दूर-दराज से पहुंचे पहलवानों ने अपने दांव-पेच दिखाकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। दंगल की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित 1 लाख 31 हजार रूपए की इनामी कुश्ती जैलाफ के संजय पहलवान और रोहतक के साहिल नाड़ के बीच हुई। आखिरकार दोनों पहलवानों के बीच मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। मुकाबला बराबरी पर रहने के बाद दंगल समिति की ओर से दोनों पहलवानों को 25-25 हजार रूपए की राशि देकर सम्मानित किया गया। मेले के दौरान विधायक धर्मपाल गुर्जर ने मुख्य सड़क से स्टेडियम तक विधायक कोष से नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण किया। सड़क निर्माण से मेले के दौरान श्रद्धालुओं और ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम में प्रधान मनीषा गुर्जर, मदनलाल गुर्जर, होशियार सिंह चौधरी, प्रकाश चंद अवाना, रोहताश मनकड़ा, राजेश बबलू अवाना, प्रभु राजौता, सतीश खारड़िया, शंकरलाल, छोटेलाल पहलवान, चुन्नीलाल, विक्रम स्वामी, बिजनेस एवं कृष्ण सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

जोधपुर : हादसों में दो लोगों की मौत

जोधपुर, (कासं)। कमिश्नरेट में हुए हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति अपने घर की छत से गिर गया, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई, जबकि मानसिक विमंदित युवक की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। संबंधित थाना पुलिस ने मर्ग की कार्रवाई करते हुए शव परिजन को सुपुर्द किए।

सूरसागर पुलिस ने बताया कि पालड़ी सिद्धा बोरूंदा हाल रावटी कच्ची बस्ती में रहने वाला 51 साल का सत्तूराम पुत्र केशाराम बावरी गत रात अपने घर की छत से नीचे गिर गया गया था। गंभीर रूप से घायल होने पर परिजन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर बाद में उसकी मौत हो गई। उसके पुत्र पवनराम की तरफ से पुलिस ने मर्ग दर्ज किया। दूसरी तरफ गुरूकृपा मानसिक विमंदित गृह आंगणवा के सुपरवाइजर महेंद्र ने मंडोर थाने में दर्ज कराई मर्ग रिपोर्ट में बताया कि केंद्र पर रह रहा अज्ञात 28 साल का किशन की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर बाद में उसकी मौत हो गई। मंडोर पुलिस ने कार्रवाई कर शव सौंप दिया।

केबल चोरी मामले में एक आरोपी गिरफ्त में

रूपवास/भरतपुर, (निसं)। थाना पुलिस ने समर्सिबल की केबल चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार सामरी निवासी मुरारीलाल ने 27 अगस्त को रूपवास थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके समर्सिबल की केबल चोरी कर ली गई है। परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में तुर्कपुरा निवासी भंवर सिंह सहित दो व्यक्तियों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया था।थानाधिकारी के निर्देश पर टीम ने मामले की जांच करते हुए तकनीकी साक्ष्यों की सहायता से एक आरोपी की पहचान की। इसके बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के नगला मालियान निवासी लवकुश को गिरफ्तार कर लिया।

न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए पूरा वेतन उठाने का आरोप

वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगा, केस दर्ज

- उपस्थिति पंजिका में मेडिकल अवकाश दर्ज कर पूरा वेतन उठाने और पद का दुरुपयोग कर राजकोष को नुकसान पहुंचाया

हनुमानगढ़, (निसं)। न्यायिक अभिरक्षा में रहे पशु चिकित्सा अधिकारी ने मेडिकल अवकाश दिखाकर पूरा वेतन उठाया, पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार जेल में रहते हुए पूरा वेतन उठाने के आरोप में गोगामेड़ी के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उन पर न्यायिक अभिरक्षा में रहने के दौरान उपस्थिति पंजिका में मेडिकल अवकाश दर्ज कर पूरा वेतन उठाने और पद का दुरुपयोग कर राजकोष को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

गोगामेड़ी पशु अस्पताल में एसएल पद पर कार्यरत गांव मुंसरी निवासी संतोष (30) पत्नी विजय जाट ने थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी रिपोर्ट में संतोष ने बताया कि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र अमर सिंह निवासी निनाण वर्तमान में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी गोगामेड़ी के पद पर कार्यरत हैं। उनके खिलाफ महिला उत्पीड़न का मामला गोगामेड़ी पुलिस थाने में 20 जुलाई 2026 को दर्ज करवाया गया था। मामले की जांच के बाद महिला उत्पीड़न के आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध पाए जाने पर पुलिस ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। अगले दिन 24 जुलाई को उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। शिकायत के अनुसार, न्यायालय में पेश किए जाने के बाद डॉ. राजेन्द्र प्रसाद न्यायिक अभिरक्षा में रहे। इसी दौरान उनका सरकारी अस्पताल गोगामेड़ी में स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक, स्वास्थ्य परीक्षण में उन्हें स्वस्थ एवं फिट बताया गया था। संतोष ने आरोप लगाया कि न्यायिक अभिरक्षा में रहने के बावजूद डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय की कर्मचारी उपस्थिति पंजिका में 22 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक मेडिकल अवकाश दर्ज कराया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसी प्रविष्टि के आधार पर संबंधित दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पूरे माह का वेतन भी उठा लिया।

शिकायत में कहा गया है कि यदि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद उक्त अवधि में न्यायिक अभिरक्षा में थे, तो उनके द्वारा मेडिकल अवकाश दर्शाकर वेतन लेना अनुचित आर्थिक लाभ की श्रेणी में आता है। इससे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को अनुचित आर्थिक लाभ और राजकोष को अनुचित आर्थिक नुकसान पहुंचने का आरोप लगाया गया है।

परिवादिया ने मामले में कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और उन्हें असल दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करने के साथ-साथ पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर संबंधित धाराओं में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। गोगामेड़ी थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक भूपसिंह को सौंपी है। अब पुलिस उपस्थिति पंजिका में दर्ज मेडिकल अवकाश, स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित रिकॉर्ड, न्यायिक अभिरक्षा की अवधि और वेतन भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की जांच करेगी।

'लेखक जन सरोकारों से जुड़ेगा, तभी मानवीय गुणों से जोड़ने वाला साहित्य लिख पायेगा'

जनवादी लेखक संघ की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में ''अन्तर्वस्तु के सवाल'' विषय पर दो सत्र आयोजित किये गये

कार्यशाला में समापन सत्र के दौरान प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

- लेखक को कहानी का अंत समझ नहीं आये तो उसे खूबसूरत मोड देकर छोड़ देना चाहिए : प्रोफेसर सगीर अफ़राहिम

अलवर। जनवादी लेखक संघ (जलेस) की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में आज ''अन्तर्वस्तु के सवाल'' विषय पर दो सत्र आयोजित किये गए, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर सगीर अफ़राहिम, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बजरंग बिहारी तिवारी, आकाशवाणी लखनऊ की संवाददाता समीना खान, कथा आलोचक राजाराम भादू, शंभूशरण सत्यार्थी, गजेंद्र रावत ने कहानी की अंतर्वस्तु के विभिन्न पक्षों पर विचार व्यक्त किये।

इस अवसर पर प्रो.सगीर अफ़राहिम ने उर्दू साहित्य के हवाले से हिंदी कहानी को जीवन संदर्भों का दस्तावेज बताते हुए कहा कि कहानी लेखन में सबसे ज्यादा जरूरी मनुष्य और उसके मुद्दे होने चाहिए। लेखक को कहानी रचते समय कभी भी अंत को लेकर लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। कहानी का अंत अगर समझ नहीं आता है तो उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने हिंदी उर्दू रचनाकारों से जुड़े अपने अनुभव साझा किये। समीना खान ने सत्ता द्वारा किसी मुद्दे को भटकाने के लिए घटना की अंतर्वस्तु को कैसे बदला जाता है इस बात को लखनऊ के उदाहरण से समझाते हुए कहा कि आज भौतिक सत्ता से प्रभावित साहित्यकारों द्वारा लखनऊ की समृद्ध संस्कृति और साहित्य की चर्चा करने के बजाय लखनऊ को केवल खानपान की चर्चा तक सीमित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कहानी मनुष्य में दया और प्रेम का हार्मोन सृजित करती है, किंतु आज साहित्य से यह हार्मोन गायब किया जा रहा है।

राजाराम भादू ने कथ्य के विस्तार की बात करते हुए सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा जन आंदोलनों को कुचल ने की बात को कहानी से जोड़ते हुए लेखकों से जन सरोकारों के साथ निडरता से जुड़े रहने का आव्हान किया। बजरंग बिहारी तिवारी ने जीवन के विभिन्न संदर्भों से विमर्श मूलक साहित्य रचने की बात कही। उन्होंने दलित साहित्य में हिंसा के विभिन्न रूपों से अवगत कराया।

समापन सत्र में जलेस के राष्ट्रीय महासचिव नलिन रंजन सिंह ने कहा कि यह कार्यशाला कहानी लेखन से अधिक लेखकों को जन सरोकारों से जोड़ने का सेतु है। लेखक स्वयं जन सरोकारों से जुड़ेगा तभी वह समाज को मानवीय गुणों से जोड़ने वाला साहित्य लिख पायेगा। समापन सत्र में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

कार्यशाला के विभिन्न सत्रों का संचालन योगमाया सैनी, देशराज वर्मा, पीसी रथ ने किया। कार्यशाला के संयोजक संदीप मील ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जबकि धन्यवाद उद्बोधन जलेस अलवर इकाई के सचिव भरत मीना ने दिया। इस अवसर पर अलवर के वरिष्ठ साहित्यकार जीवन सिंह मानवी, नीलाभ पंडित, छंगाराम मीना, रमेश बैरवा, भागीरथ, प्रदीप गाँधी, राघवेंद्र रावत, घनश्याम शर्मा, मनीष सिनसिनवार इत्यादि उपस्थित रहे।

सादुलपुर के जवान दिनेश का सड़क हादसे में निधन

सादुलपुर, (निसं)। चूरू जिले के सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव गोविंद सिंह का बास, पोस्ट नूहंद निवासी वीर जवान दिनेश कुमार का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। बीकानेर से सेना की गार्ड टुकड़ी पार्थिव शरीर के साथ शहीद स्मारक राजगढ़ पहुंची, जहां पूर्व सांसद रामसिंह कस्वां, सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली, पूर्व विधायक डॉ. कृष्णा पूनिया, भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा पूनिया, पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष मुकेश पूनिया, युवा कांग्रेस नेता कुलदीप पूनिया हमीरवास, तेजपाल पूनिया, पूर्व अध्यक्ष जगत सिंह, प्रो. दिलीप पूनिया, राजपाल बिशु व नरेन्द्र सांगवान, उम्मेद पूनिया सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। शहीद स्मारक राजगढ़ से शहीद के पैतृक गांव बास गोविंद सिंह तक तिरंगा यात्रा निकाली गई।

गौरतलब है कि दिनेश कुमार भारतीय सेना की 2 जाट रेजिमेंट में अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे। वे छुट्टी पर आए हुए थे और रविवार को बाइक से घरेलू काम से जा रहे थे, उसी दौरान पिलानी-लोहारू के बीच बस की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए भिवानी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।

तेज रफ्तार ट्रेलर ने पैदल जा रहे युवक को कुचला

आक्रोशित ग्रामीणों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया

पावटा, (निसं)। क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार भारी वाहन ने कहर बरपाते हुए पैदल जा रहे एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया। दर्दनाक हादसे में मुरारी लाल शर्मा पुत्र हनुमान निवासी रामपुरा की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने दुर्घटना स्थल पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और अपनी मांगों को लेकर मौके पर ही डटे रहे। हादसे की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी पावटा बृजेश कुमार, डीवाईएसपी विराटनगर उमेश निठारवाल एवं प्रागपुरा थाना प्रभारी भजनाराम पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने हादसे में शामिल ट्रेलर को जब्त कर लिया, जबकि चालक मौके से फरार हो गया।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में इन वाहनों की आवाजाही के लिए एमडीआर सड़क बनाई हुई है फिर भी भारी एवं तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही आबादी क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह पैदल जा रहे एक युवक को तेज रफ्तार वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया था। उस हादसे के बाद भी भारी वाहनों की रफ्तार पर प्रभावी अंकुश नहीं लगाया गया। अब दोबारा इसी तरह का हादसा होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वहीं कांग्रेस नेता रामस्वरूप कसाना, रामनिवास यादव सहित ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने, फरार चालक को जल्द गिरफ्तार करने, ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा भारी वाहनों की तेज रफ्तार पर अंकुश लगाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक वे प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। मौके पर उपखंड अधिकारी पावटा बृजेश कुमार, डीवाईएसपी विराटनगर उमेश निठारवाल एवं प्रागपुरा थाना प्रभारी भजनाराम द्वारा ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास करते हुए पांच घंटे बाद भामाशाहों के सहयोग से आर्थिक सहयोग व सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, घर में एक व्यक्ति को संविदा पर नौकरी के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया।